

संपत्ति अबभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं. 1208 191
 मुक्ति श्री श्री मनीषा ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में विनिश्चित सहायकारों और अबभारों का स्वविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

आवेदन सं. 1913

(आवेदन में दिये गये तथ्यों के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसका द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले सहायकारों और अबभारों के बारे में यही है और उससे सम्बन्धित अनुक्रमणिकाओं से ता. 31-12-19 तक जानकारी ली गई और ऐसी तलवारों के बाद निम्न सहायकारों और अबभारों का पता दिया है -

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पत्तों के नाम		दस्तावेज की प्रा. सं. के प्रति विवरण		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं.	वर्ष	पृष्ठ
991	श्री मनीषा	9/9	164	1100	03	56		
	श्री मनीषा	355	164	1100	03	56		
	श्री मनीषा	26						

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. संपत्र-पत्र की दशा में ध्याज की दर और पुनर्गत की अवधि दर्ज करें। बतानें कि इनके बारे में
 2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

For Sri Matesh & Associates
 Managing Partner

यह भी प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अबभारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रमादित करने वाले किलो अन्य संव्यवहार और अबभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलारी की ओर प्रमाण-पत्र तयार किया :-

(हस्ताक्षर) - *डी. नारायण पासवान*

(पदनाम) - *डी.ओ.*

तलारी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) - *शिव नारायण*

(पदनाम) - *डी.ओ.*

कार्यालय - *310100 कार्यालय फुलवारी शरीफ*

तारीख - *31-5-17*



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
31/5/17


टिप्पणी - इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अबभार दिखाए गए हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं; यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निरन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों में प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

- (1) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) का प्रविष्टियां देखना चाहते हैं अथवा जा इनका प्रतिलिपि लेना चाहते हैं अथवा जिन्हें विनिश्चित संपत्तियों को अबभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलारी स्वयं करनी होगी। विहित प्रोसेस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।
- (2) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलारी नहीं ली है, इसलिए कार्यालय ने अ... तलारी अपने मरसक सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलारी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।
- (3) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलारी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा... गये संव्यवहारों और अबभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है। इसलिए... आवेदक द्वारा न जुड़े गये ऐसे संव्यवहारों और अबभारों को... के लिए किसी भी तरह जि... न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

माफांक - 1270 दिनांक - 31-5-17

प्रतिलिपि - *शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक
आ. ह. सी. पी. सी. पटना का प्रेषण*

*किं पठ
31-5-17*



संपत्ति अबभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं. 1209 1914 आरेदन सं. 1914
 एके श्री अरुण सिंह ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित
 संपत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित सत्यवहारी और अबभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य को अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसका द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले सत्यवहारी और अबभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्धित अनुक्रमणियों से ता. 31/12/14 के अंश 315/17 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सत्यवहारी और अबभारों का पता पड़ा है :-

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्काशन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	फलों के नाम		दस्तावेज की प्र-त के प्रति विवरण		
				निष्कादक	दावेदार	जिल्द सं.	पृष्ठ	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मौजा <u>जगन्पुर</u>	<u>मौजानक</u>	<u>वाताणक</u>	<u>विस्तार</u>	<u>कुछ</u>			
	धाना <u>समूहमणगा</u>	<u>355</u>	<u>164</u>	<u>1100</u>	<u>07</u>	<u>कुछ</u>		
	जिला <u>पटना</u>							
	धाना <u>26</u>							

- (क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
- (ख) 1. बंधक-पत्र की दशा में धाज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बरतें कि इनके बारे में
- 2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

For Sri Mateshwari Constructions

(Signature)
 Managing Partner

में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अबमारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले किले अन्य संव्यवहार और अबमार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलारी की ओर प्रमाण-पत्र तयार किया :-

(उस्तादार) - श्री. जागमण पासुवा
 (पदनाम) - लि

तलारी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जीव निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) शिवशंकर
 (पदनाम) लि
 कार्यालय अप्ट लि. आलय कुलवारी भाई
 तारीख 31-5-17



निबन्धन पदाधिकारी का इस्तफार
31-5-17

- टिप्पणी - इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अबमार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा उधा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से निम्न विवरण उक्त किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निरक्षित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
- (1) निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) का प्रविष्टियां देखना चाहते हैं अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हैं अथवा जिन्हें सिनिस्टर संपत्तियों को अबमारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलारी स्वयं करनी होगी। बिहित किस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।
 - (2) किन्तु पूर्ण वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलारी नहीं की है। इसलिए कार्यालय ने अ तलारी अपने मरसक सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलारी परिणाम की किसी मूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।
 - (3) और पूर्ण वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलारी स्वयं की है और पूर्ण उसके द्वारा गये संव्यवहारों और अबमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है। इसलिए आवेदक द्वारा न बुद्धे गये ऐसे संव्यवहारों और अबमारों को सुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

आपॉक - 1271 दिनांक - 31-5-17

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक भारतीय हार्डवेयर
आप. व. ह. सी. जी. सी. फ्लोर की-पौधवा

लि

For Sri Mateshwari Constructions
 Managing Partner